



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 22, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1665 / सत्रह-वि-1-1(क)-29-1985

लखनऊ, 13 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनिय संख्या 27 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1985)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

संक्षिप्त नाम

## अध्याय—दो

## संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त  
अधिनियम संख्या 2  
सन् 1916 की  
धारा 9-क का  
संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 11-क का  
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

## अध्याय—तीन

## उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 2  
सन् 1959 की  
धारा 7 का  
संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 31 का  
संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

## अध्याय—चार

## संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधि-  
नियम संख्या 2  
सन् 1914 की धारा  
5-क का संशोधन

6—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
शिवाधार तिवारी,  
विशेष सचिव।

No. 1665(2)/XVII-V—1-1(KA)-29-1985

Dated Lucknow, September 13, 1985.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Dwitya Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1985:

**THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS  
(SECOND AMENDMENT) ACT, 1985**

[U. P. ACT No. 27 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

to amend the U. P. Municipalities Act, 1916, the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and the U. P. Town Areas Act, 1914

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

**CHAPTER I**

*Preliminary*

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Act, 1985. Short title.

CHAPTER II

*Amendment of the U. P. Municipalities Act, 1916*

2. In section 9-A of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in the second proviso, for the words "one year" the words "three years" shall be substituted.

Amendment of section 9-A of U. P. Act no. 2 of 1916.

3. In section 11-A of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "one year" the words "three years" shall be substituted.

Amendment of section 11-A.

CHAPTER III

*Amendment of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959*

4. In section 7 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1) in the second proviso, for the words "one year" the words "three years" shall be substituted.

Amendment of section 7 of U. P. Act no. 2 of 1959.

5. In section 31 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words "one year" the words "three years" shall be substituted.

Amendment of section 31.

CHAPTER IV

*Amendment of the U. P. Town Areas Act, 1914*

6. In section 5-A of the U. P. Town Areas Act, 1914, in sub-section (1), in the second proviso for the words "one year" the words "three years" shall be substituted.

Amendment of section 5-A of U. P. Act no. 2 of 1914.

By order,  
SHIVADHAR TEWARI,  
Vishesh Sachiv.